

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल: jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/अलेसे-II/III/ 834

जयपुर दिनांक :- 22-09-2023

शुद्धि आदेश

विभागीय स्थानान्तरण आदेश 53/2023-24 दिनांक 20.09.2023 में निम्नानुसार संशोधन किए जाते हैं:-

1. क.सं. 31 पर अवस्थित “श्री मानसिंह मीणा, सलेअ-II (लिंक नं. 10171)” के सामने कॉलम संख्या 4 में “राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, जयपुर में स्थानान्तरणाधीन” पढ़ा जावे।
2. क.सं. 35 पर अवस्थित “श्री मुकेश कुमार बैरागी, सलेअ-II (लिंक नं. 12965)” के सामने कॉलम संख्या 5 में “सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, डूंगरपुर” के स्थान पर “उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं डूंगरपुर” पढ़ा जावे।
3. क.सं. 63 पर अवस्थित “श्री विशाल मेहता, सलेअ-II (लिंक नं. 11900)” के सामने कॉलम संख्या 5 में “खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सराडा उदयपुर” के स्थान पर “कोषालय सलूमबर” एवं कॉलम संख्या 6 में “प्रकाशचन्द मीणा, सलेअ-II” के स्थान पर “कनि० लेखाकार के रिक्त पद के विरुद्ध” पढ़ा जावे।
4. क.सं. 75 पर अवस्थित श्री “राकेश कुमार वर्मा, सलेअ-II (लिंक नं. 12263)” के स्थान पर “राजेश सांघी, सलेअ-II (लिंक नं. 2283)” पढ़ा जावे।
5. क.सं. 79 पर अवस्थित श्री “राजेन्द्र मीणा, सलेअ-II (लिंक नं. 12169)” के सामने कॉलम संख्या 5 में “अधिकाधी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड खैरवाडा, उदयपुर” के स्थान पर “सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, झाडौल जिला उदयपुर” में एवं कॉलम संख्या 6 में “खण्डीय लेखाकार के रिक्त पद” के स्थान पर “सलेअ-II के रिक्त पद पर” पढ़ा जावे।
6. क.सं. 113 पर अवस्थित “श्री नरेन्द्र सिंह राव, सलेअ-II (लिंक नं. 10166)” के सामने कॉलम संख्या 4 में “मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, गोगुन्दा, उदयपुर” के स्थान पर “मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सायरा, उदयपुर” पढ़ा जावे।
7. क.सं. 116 पर अवस्थित “श्री राकेश खर्वा, सलेअ-II (लिंक नं. 11647)” के सामने कॉलम संख्या 4 में “अधिकाधी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड-प्रथम प्रतापनगर, जयपुर” के स्थान पर “अधिकाधी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड-द्वितीय, प्रतापनगर, जयपुर” पढ़ा जावे।
8. क.सं. 154 पर अवस्थित “श्री मदनलाल निठारवाल, सलेअ-II (लिंक नं. 10558)” के सामने कॉलम संख्या 4 में “निदेशालय, गोपालन विभाग, जयपुर में स्थानान्तरणाधीन” पढ़ा जावे।
9. क.सं. 190 पर अवस्थित “श्री गिरिराज यादव, सलेअ-II (लिंक नं. 11555)” के सामने कॉलम संख्या 4 में “अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, संभाग-द्वितीय, पीडब्ल्यूडी, झुन्झुनू” के स्थान पर “अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, संभाग-द्वितीय, पीडब्ल्यूडी, जयपुर” पढ़ा जावे।
10. क.सं. 196 पर अवस्थित “श्री जयप्रकाश सैनी, सलेअ-II (लिंक नं. 10915)” के सामने कॉलम संख्या 5 में “आरयूएसडीआईपी, यूआईडीएसएसएमपी खण्ड झुन्झुनू” के स्थान पर “आरयूएसडीआईपी, पीआईयू (मुख्यालय) Phase-iv, मण्डावा जिला झुन्झुनू” पढ़ा जावे।
11. क.सं. 213 पर अवस्थित “श्री शिवाशीष शर्मा, सलेअ-II (लिंक नं. 13135)” के सामने कॉलम संख्या 6 में “रिक्त पद के स्थान” पर “राकेश खर्वा, सलेअ-II” के स्थान पर पढ़ा जावे।
12. क.सं. 216 पर अवस्थित “श्री उल्लास तर्ड, सलेअ-II (लिंक नं. 12852)” के सामने कॉलम संख्या 5 में “जिला कलेक्टर (सहायता) नागौर” के स्थान पर “पंचायत समिति नागौर” एवं कॉलम संख्या 6 में “सलेअ ग्रेड II के रिक्त पद पर” के स्थान पर “सलेअ ग्रेड I के रिक्त पद के विरुद्ध” पढ़ा जावे।
13. क.सं. 262 पर अवस्थित “कविता खानचन्दानी, सलेअ-II (लिंक नं. 10689)” के सामने कॉलम संख्या 6 में “राकेश कुमार वर्मा” के स्थान पर “राजेश सांघी” एवं क.सं. 263 पर अवस्थित “राकेश कुमार वर्मा (लिंक नं. 12263)” के स्थान पर “राजेश सांघी (लिंक नं. 2283)” पढ़ा जावे।

14. क.सं. 263 पर अवस्थित "श्री महेश कुमार जाट, सलेअ-1A (लिंक नं. 10288)" के सामने कॉलम संख्या 5 में "क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी-1A, विद्याधर नगर, जयपुर" के स्थान पर "संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जयपुर संभाग, जयपुर" एवं क.सं. 6 पर "सलेअ-1A के रिक्त पद पर" के स्थान पर "सलेअ-1 के रिक्त पद के विरुद्ध" पढ़ा जावे।
15. क.सं. 274 पर अवस्थित "श्री दिनेश कुमार शर्मा, सलेअ-1A (लिंक नं. 11171)" के सामने कॉलम संख्या 4 में "जिला आयुर्वेद अधिकारी, सवाईमाधोपुर" के स्थान पर "प्राचार्य, राजकीय कृषि महाविद्यालय, बहरावण्डा खुर्द (सवाईमाधोपुर)" पढ़ा जावे।
16. क.सं. 278 पर अवस्थित "श्री हरेन्द्र कुमार थोरी, सलेअ-1A (लिंक नं. 12030)" के सामने कॉलम संख्या 5 में "उपकोष कार्यालय डीडवाना" के स्थान पर "कोष कार्यालय डीडवाना-कुचामन सिटी" पढ़ा जावे।
17. क.सं. 314 पर अवस्थित "श्री विश्वेन्द्र सिंह, सलेअ-1A (लिंक नं. 9222)" के सामने कॉलम संख्या 6 में "कनि0 लेखाकार के रिक्त पद के विरुद्ध" के स्थान पर "सलेअ ग्रेड I के रिक्त पद के विरुद्ध" पढ़ा जावे।
18. क.सं. 355 पर अवस्थित "मीना कुमारी मीना, सलेअ-1A (लिंक नं. 12539)" के सामने कॉलम संख्या 5 में "सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, झालाना, जयपुर" के स्थान पर "उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, झालाना, जयपुर" एवं एवं कॉलम संख्या 6 में "सलेअ-1A के रिक्त पद" के स्थान पर "कनि0 लेखाकार के रिक्त पद के विरुद्ध" पढ़ा जावे।
19. क.सं. 433 पर अवस्थित "श्री जितेन्द्र सिंह शेखावत, सलेअ-1A (लिंक नं. 10345)" के सामने कॉलम संख्या 4 में "वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर" के स्थान पर "सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, शासन सचिवालय, जयपुर" पढ़ा जावे।
20. क.सं. 359 पर अवस्थित "श्री सत्यदेव शर्मा, सलेअ-1A (लिंक नं. 12981)" के सामने कॉलम संख्या 6 में "मनीषा बाई मीणा" के स्थान पर "दिनांक कुण्डारा (लिंक नं. 12487)" पढ़ा जावे।
21. उक्त आदेश में अंकित क.सं. 114, 263, 419 एवं 440 को विलोपित किया जाता है।

(डॉ. देवराज)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

जयपुर दिनांक :- 22-09-2023

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)पदस्थापन/अलेसे-1A/1A/ 834

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
3. संबंधित कोषाधिकारी
4. श्री.....सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1A/कनि0 लेखाकार,
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1) कार्यालय हाजा।
7. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट/पीआईएस कॉईन्स पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

(के. जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)